Nainital Samachar, Nainital, October 15-31, 2005

पिथौरागढ़ में खनन सैकड़ों लोगों की जिन्दगी खराब कर भाग गईं कम्पनियाँ

महेश जोशी

रोजगार और क्षेत्र के विकास की उम्मीद में अपने गौचर, पनघट व वन पंचायत की भूमि मैग्नेसाइट कम्पनियों को सौंप देने वाले पिथौरागढ़ जिले के चण्डाक, मोस्टामानू, सिकड़ानी, धारी, ढूँगा, तड़ीगाँव, पुनेड़ी, सिलपाटा, सिलोली, मड़, मैला, मनेसेरा, धुनौड़ा, भूनिगाँव आदि गाँवों के निवासियों की आँखों में सपने बिखर जाने का दर्द साफ महसूस किया जा सकता है। जब भी कोई इन क्षेत्रों में हालातों का जायजा लेने जाता है, तो वे पूछते हैं, क्या फैक्ट्री फिर शुरू होगी ? बेरोजगारों को उम्मीद है कि शायद उनका शेष वेतन व अन्य देयक उन्हें मिलेंगे। यही हाल श्रमिकों को लाखों. रुपये का सामान उधार देकर उजड़ चुके दुकानदारों का है। तड़ीगाँव की फैक्ट्री का लोहा–लख्खर सब कुछ साफ हो जाने के आठ वर्षों बाद निराश ग्रामीण छले जाने के दंश से किंकर्तव्यविमूढ़ हैं। कई लोग अपना छोटा–मोटा रोजगार करने लगे हैं; कुछ बदहवास स्थिति में हैं तो कुछ धनाभाव के कारण उपचार न कराने से असमय काल के ग्रास बन गये।

प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से इन दोनों फैक्ट्रियों (चण्डाक व तड़ीगांव) से जुड़े बारह सौ से ज्यादा लोगों की गाढ़ी कमाई व विभिन्न बैंकों का करोड़ों रुपया इन मैग्नेसाइट कम्पनियों के मालिकान डकार कर गायब हो गये। कम्पनियों के मालिकों की नीयत में खोट का होना मुख्य कारण था। लेकिन यह सब नब्बे के दशक में शुरू हुए उस भूमण्डलीकरण के परिणामस्वरूप भी हुआ, जिसमें आयात शुल्क में की गई भारी कमी के कारण यहाँ उत्पादित डी.बी.एम. (डेड बर्न्ट मैग्नेसाईट) चीन और कोरिया के माल के मुकाबला हार गया। चीन और कोरिया से आयातित डी.बी.एम. सस्ता ही नहीं, अपितु शुद्धता में भी आगे था। भारतीय इस्पात कम्पनियों ने उसे हाथोंहाथ लिया और यहाँ के डी.बी.एम. को खरीददार मिलने मुश्किल हो गये। मुकाबले में टिके रहना नामुमकिन होने पर मालिकों ने श्रमिकों के शेष देयकों व बैंकों के ऋण का भुगतान किये बगैर फैक्ट्रियों पर ताला जड़ दिया।

32 वर्ष पूर्व उड़ीसा की एक प्राइवेट कम्पनी 'उड़ीसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड' ने पिथौरागढ़ नगर से 5 किमी. दूर चण्डाक की पहाड़ियों पर मैग्नेसाईट पत्थर मिलने के बाद 'मैगनेसाइट एण्ड मिनरल्स कम्पनी' के नाम पर 514 हैक्टेअर क्षेत्र में 20 वर्ष के लिए लीज पट्टा प्राप्त कर खनन शुरू कर दिया। प्रारम्भ में कच्चा माल निकाल कर इसी कम्पनी की अन्य इकाई में शोधन के लिए भेजा जाता था। चार–पाँच वर्षों में ही खनन के दुष्प्रभाव सामने आने लगे तो ग्रामीणों ने पर्यावरण सुरक्षा के साथ ही रोजगार की माँग को लेकर कम्पनी पर दबाव बनाना शुरू किया। तत्कालीन जिला प्रशासन की पहल पर 1978 में कच्चे माल को संशोधित करने के लिए सिकड़ानी के नीचे बलेटी गाँव में कारखाना लगा कर श्रमिकों की नियुक्तियाँ की गई। 1982 में बेहतर गुणवत्ता वाली दूसरी भट्टी लगने पर पहली बंद कर दी गई। 1986 में रोटरी क्लीन भट्टी लगी, जो माह में पन्द्रह दिन ही चलाई जाती थी। तकनीकी कारणों से तब इसमें प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लग सके। स्थापना के 20 वर्षों तक कम्पनी सुचारु रूप से चलती रही और मालिक जे. के. झुनझुनवाला को अच्छा मुनाफा देती रही। कम्पनी ने पहाड़ों में उद्योग लगाने पर मिलने वाली 75 प्रतिशत ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के अलावा वे सभी लाभ प्राप्त किये जो औद्योगीकरण को गति देने के लिए सरकार ने घोषित किये थे। फैक्ट्री में 35 से 40 टन तक की डी.बी.एम. का प्रतिदिन उत्पादन हुआ। इससे डेढ़ लाख रुपया प्रतिदिन की शुद्ध आय कम्पनी को हुई। लेकिन तमाम सुविधाएँ प्राप्त कर जब कम्पनी को अपने दम पर चलाया जाना था, प्रबन्धन ने वित्तीय घाटा व कम उत्पादन का बहाना बनाकर 13 जुलाई 1998 को गैरकानूनी ढंग से फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी। 1997 से कर्मचारियों का वेतन भुगतान रुका हुआ था । 5 मार्च 1999 को 83 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया।

अघोषित तालाबन्दी व कर्मचारियों की बर्खास्तगी करके प्रबन्धन ने वेतन सहित अन्य देयकों को भी हड़प लिया। कर्मचारियों की भविष्य निधि का 52 लाख रुपया वेतन से काटने के बावजूद उनके खातों में जमा नहीं किया गया। यह राशि अब 70 लाख रुपया हो गई है। इस तरह 15 माह का वेतन, ग्रेच्युटी, बोनस आदि के अलावा विद्युत, दूर संचार विभाग, ट्रांसपोर्ट व कई बैंकों का करोड़ों रुपया प्रबन्धन हड़प गया। कर्मचारी यूनियन संघर्ष समिति बनाकर फैक्ट्री की चार करोड़ की सम्पत्ति व डेढ़ लाख रुपये के कच्चे माल का मामला 'औद्योगिक पुनर्निर्माण बोर्ड' के पास ले गयी। बोर्ड द्वारा नवम्बर 2000 में फैसला सुनाकर फैक्ट्री की समस्त परिसम्पत्तियों को बेचने का अधिकार सेल कमेटी को दे दिया गया। कमेटी में वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि व श्रमिक प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। साथ ही फैक्ट्री का अधिग्रहण पिकप (प्रादेशिक इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन) के नाम कर दिया गया। पिकप की 98 लाख की पूँजी इस कम्पनी पर लगी थी। उत्तरांचल राज्य के अस्तित्व में आने के बाद संघर्ष समिति को मामले के सुलझने की उम्मीद थी, पर अब तक के तीनों मुख्यमंत्रियों के आश्वासनों के बावजूद कोई कार्यवाही न होने से संघर्ष समिति भी निराश हो चुकी है।

चण्डाक फैक्ट्री के बंद होने से 295 स्थायी, 30 सुपरवाइजर्स, मैनेजर आदि व 28 आकस्मिक मजदूरों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। मजदूरों से रात दिन गुलजार रहने वाली चण्डाक बाजार में सात साल से सन्नाटा पसरा है। दुकानदार त्रिलोक चन्द्र पाण्डे का 2 लाख रुपया इस आस में फँस गया कि देर–सबेर फैक्ट्री का मामला सुलझने पर श्रमिक उनका रुपया लौटा ही देंगे। सतीश चन्द्र पाटनी अपनी खाली पड़ी दुकान की ओर इशारा कर कहते हैं, "सब कुछ बर्बाद हो गया। सारी बाजार चौपट हो गई।" सिकड़ानी गाँव के देवेन्द्र सिंह बिष्ट दो अन्य भाईयों सहित कम्पनी में लगे थे। अब बेरोजगारी के कारण उनका परिवार भुखमरी की स्थिति में है। गाँव के गौचर, पनघट व कृषि भूमि खनन व फैक्ट्री के धुंए से बुरी तरह प्रभावित हो गये थे, जिसका असर आज भी देखा जा सकता है। सिकड़ानी के ही जीवन सिंह के परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य बेरोजगार तो हुआ ही, फैक्ट्री की धूल व खनन से खेत भी बंजर हो गये। कम्पनी की गाड़ी चलाने वाला ढूँगा गाँव का महेन्द्र सिंह बेरोजगारी की मार झेलता अर्द्धविक्षिप्त हो गया है। अब वह शराब का जुगाड़ कर सुबह से ही चण्डाक

बाजार के आस–पास डोलता रहता है। चंडाक गाँव के पूर्व अध्यापक हैदरबख्श फल व सब्जी का उत्पादन करते थे, लेकिन खनन की धूल व फैक्ट्री के धुएँ ने उनका एक हजार से अधिक पेड़ों वाला सेब का बगीचा बर्बाद कर दिया। कम्पनी ने खनन व कच्चा माल रखने के लिये ढूंगा व गोदिया गाँव की वन पंचायत पर कब्जा जमाया और सड़क निर्माण के बहाने 2,500 से अधिक बाँज व रीठे के पेड़ वन विभाग की स्वीकृति पर साफ कर दिये। ब्लास्टिंग के धमाकों से जल स्रोत प्रभावित हो गये।

चण्डाक जैसे हालात तड़ीगाँव क्षेत्र के भी हैं, जहाँ 1996 से पहले उद्योगपति जे.पी. खेतान ने ग्रामीणों को रोजगार देने का वायदा कर 1976 के आसपास 'हिमालयन मैग्नेसाईट कम्पनी' के नाम 360 हेक्टेयर भूमि का लीज पट्टा 20 वर्ष के लिये प्राप्त कर लिया। इससे पूर्व 1972 में किसी अन्य कम्पनी को खनन पट्टा मिला था, जिसका 1974 में हिमालयन मैग्नेसाईट कम्पनी ने अधिग्रहण कर लिया। बाद में कम्पनी ने लीज अवधि 10 वर्ष और बढ़ाई थी, लेकिन लीज की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही कम्पनी में ताला लग गया। इससे 5–6 सौ लोग बेरोजगार हो गये। चण्डाक की अपेक्षा तड़ीगाँव का क्षेत्र अधिक उपजाऊ है, इसलिये ग्रामीण अब भी किसी तरह खेती–बाड़ी व पशुपालन में लगे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज, सुंईखेत (अल्मोड़ा) के अध्यापक व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत मोहन चन्द्र काण्डपाल द्वारा 1995 के आसपास खड़िया खनन क्षेत्रों व मैग्नेसाईट कम्पनियों से प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक सर्वे करने के बाद पाया कि तड़ीगाँव में मैग्नेसाईट फैक्ट्री के धुएँ व खनन से मनुष्य व जानवरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडा है। प्रति परिवार 5–6 जानवरों में कमी हुई तथा 30 से 40 प्रतिशत पैदावार घट गई।

तड़ीगाँव के देवेन्द्र सिंह बोरा का कहना है कि फैक्ट्री शुरू होने से पहले इस गाँव की सारी भूमि सिंचित और उपजाऊ थी। मैग्नेसाईट के खनन के लिये किये गये विस्फोटों से जल स्रोत सूख गये, जिससे खेतों की उपजाऊ क्षमता घट गयी। करीब 15 हैक्टेयर गौचर व वन पंचायत की भूमि में कम्पनी ने खनन कर गड्ढे बना दिये। उन्हें भरा नहीं गया। अब उस क्षेत्र में घास तक नहीं उगती। उनका यह भी कहना है कि संयंत्रों द्वारा उड़ाई गई धूल का प्रभाव गाँव में अब भी बना हुआ है। धूलयुक्त घास चरने के कारण पशु अतिसार जैसे रोगों की चपेट में हैं। अलबत्ता कम्पनी के एक फायदा गाँव को हुआ। उसके द्वारा खुद के इस्तेमाल लिये बनाई गई सड़क अब ग्रामीणों के काम आ रही है। मगर लोक निर्माण विभाग कम्पनी की इस सड़क का रखरखाव करने से इंकार कर रहा है। तड़ीगाँव के ही 36 वर्षीय अर्जुन सिंह कम्पनी में सुपरवाइजर के पद पर काम कर चुके हैं। उनका एक वर्ष का वेतन व अन्य देयक कम्पनी डकार गयी। वे बताते हैं कि गलत प्रबंधन व बैंको से अनाप–शनाप ऋण लेने के कारण कम्पनी फेल हुई। गाँव के 84 वर्षीय बुजुर्ग सेवानिवृत्त सुबेदार मेजर केशर सिंह बोरा सिक्यूरिटी इंचार्ज के पद पर 15 वर्ष कार्य कर चुके हैं। उनका 72 हजार रुपया मारा गया। फैक्ट्री बंद होने के उपरान्त भी उन्हें फैक्ट्री की चौकीदारी के लिये तैनात गार्डों को देखने का जिम्मा सौंपा गया। इस बीच वे 15,000 रुपया गार्डों पर खर्च कर चुके थे।

तड़ीगाँव के अलावा घुनसेरा, पुनेड़ी, सिलपाटा, सिलोली, मड़ आदि गाँवों के सैकड़ों लोग फैक्ट्री के बंद हो जाने से बेरोजगार हो गये। कुछ ने अपने रोजगार का क्षेत्र बदल लिया लेकिन ज्यादातर को कोई दूसरा काम नहीं मिल पाया है। कम्पनी के बंद होने के कारणों में स्थानीय लोग प्रबंध तंत्र को जिम्मेदार बताते हैं। कम्पनी के भू वैज्ञानिक रहे धीरेन्द्र जोशी का कहना है कि प्रबंधतंत्र ने खनन आदि में पर्यावरण कानूनों का खुलेआम उल्लंघन किया ही, खरीद–फरोख्त आदि में अपने ही मालिकों को जम कर चूना लगाया। वे यह भी कहते हैं कि लोगों ने रोजगार की आस में अपने बेशकीमती बाँज वनों वाली पंचायती भूमि कंपनियों को सौंप दी। आज न रोजगार रहा और न जीवन के आधार वन ही रहे। यही बात 'मैग्नेसाईट एंड मिनरल्स संघर्ष समिति' के संयोजक सी.एम.अवस्थी भी बताते हैं। वे चण्डाक मैग्नेसाइट फैक्ट्री में कैमिस्ट के पद पर कार्यरत थे। फैक्ट्री के बंद होने के समय से ही वे लगातार मजदूरों के वेतन सहित अन्य देयकों और फैक्ट्री को पुनः चालू करवाने को लेकर संघर्ष में जुटे रहे। अब वे भी थक चुके हैं। उत्तरांचल सरकार से आस थी लेकिन उसके पास पहाड़ों के विकास के लिये न कोई ठोस नीति है न ही इच्छाशक्ति। छात्र नेता व विभिन्न दलों से जुड़े नेता भी जब–तब धन के लिये फैक्ट्रियों को दुहते रहे। अब श्रेय लेने के लिये चुनाव के दौरान वे फैक्ट्रियों को पुनर्जीवित करने की बात करते रहते हैं।

मैग्नेसाईट कम्पनियों की इन असफल कहानियों में बागेश्वर जिले के झिरौली में संचालित की जा रही फैक्ट्री जरूर अपवाद है। लेकिन वह भी अपने उत्पादन के बल पर नहीं, सरकारी मदद और कर्ज से संचालित हो रही है। 1971 में, जब यह अल्मोड़ा जिले में था, झिरौली गाँव में 'अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लि.' की स्थापना हुई। 1972 से कच्चे माल का खनन प्रारम्भ हुआ तथा 1974 से साफ्ट भट्टियों में पके डी. बी. मैग्नेसाईट उत्पादन प्रारम्भ हुआ। 1976 में उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास परिषद एवं टाटा रिफैक्ट्रीज लि. ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण को 10 प्रतिशत अंश देकर इसे एक संयुक्त उपक्रम बनाया। वर्तमान में उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास परिषद के 41 प्रतिशत, टाटा रैफैक्ट्रीज लि. के 39 प्रतिशत तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण के 20 प्रतिशत अंश इस इकाई में लगे हैं। इस क्षेत्र में करीब 110 लाख टन खनिज का भंडारण है। कम्पनी ने डी.बी.एम. उत्पादन के लिये ग्राम मटेला में संयंत्र स्थापित किया है, जिसकी क्षमता 36,000 टन प्रतिवर्ष है। लेकिन इन्स्टाल्ड क्षमता 24,000 टन ही है। कम्पनी के पास दो धमन भट्टियाँ हैं। प्रत्येक भट्टी 35 से 40 टन डी.बी.एम. प्रतिदिन उत्पादित करती है। कम्पनी के पास 50 टन क्षमता का एक सीमेंट उपक्रम भी है, जिसका उत्पादन व्यावसायिक रूप से फायदेमंद न होने के कारण बंद है। कम्पनी ने 2003 में खदान क्षेत्र में स्टोन क्रेशर इकाई भी स्थापित कर ली है।

वर्तमान में इस कम्पनी में 495 कर्मचारी स्थाई तथा 250 व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। ये सभी कर्मचारी कुमाऊँ

(इससे आगे शेषांश के पन्ने पर)

पिथौरागढ़ में खनन

(पृष्ठ 5 से आगे)

मंडल विशेषकर बागेश्वर व अल्मोड़ा जिले के हैं। खनन प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा व ग्रामीणों की सुविधा पर भी कम्पनी ने विशेष ध्यान दिया है। पर्यावरणीय दृष्टि से कम्पनी सचेत है। वैश्वीकरण एवं उच्च स्तरीय तकनीकी से उत्पन्न प्रतिस्पर्द्धा, महंगे होते जा रहे निर्माण में काम आने वाली सामग्रियों तथा मैग्नेसाईट की निरंतर घटती जा रही माँग के कारण वर्तमान में यह कम्पनी एक बीमार उद्योग घोषित है। लेकिन सरकारी स्वामित्व की कम्पनी होने के कारण यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को निकाल बाहर करना प्रबंधन के लिये आसान नहीं है। इसीलिये अपना अस्तित्व बचाने के लिये वह मैग्नेसाईट के स्थान पर अब खड़िया पर हाथ आजमाने की कोशिश कर रहा है। मैग्नेसाईट कम्पनियों की असफलताओं ने चण्डाक और तड़ीगाँव क्षेत्र के लोगों को तो कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन इनसे असकोट क्षेत्र के लोगों ने सबक लिया है, जहाँ ग्रामीणों को ऐसे ही सपने दिखाकर कनाडा की बहुराष्ट्रीय कम्पनी पिबल क्रीक एस्कॉट अवयव के दोहन के लिये खनन शुरू करने वाली है। अस्कोट के लोग अ[illegible] रोजगार और स्थानीय विकास की ग[illegible] के लिये संघर्ष समिति के माध्यम [illegible] कम्पनी के खिलाफ निरंतर आंदो[illegible] कर दबाव बनाये हुए हैं।

(सी.एस.ई. की फेलोशिप के अन[illegible] लिखा गया आले[illegible]